



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 216 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2018

दिनांक- 25/4

सेवा में,

मैसर्स सैब फैंब बिल्डटेक प्रा०लि०

द्वारा डायरेक्टर, श्री विनीत गोयल पुत्र श्री धनेश गोयल

व श्री इकबाल सोदी पुत्र श्री हरजीत सिंह

108, कटोरी मिल, लोनी रोड, मोहननगर गाजियाबाद।

विषय:-प्राधिकरण की अभियुक्ति, सम्पूर्ण योजना के आंशिक भाग टावर डी-1(पार्ट-1) का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैसर्स सैब फैंब बिल्डटेक प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर, श्री विनीत गोयल पुत्र श्री धनेश गोयल, सेवियर पार्क के खसरा सं०-1125/1, 1126/1, 1131, 1144/2, 1145/1, 1146मि०, 1154/1, 1132, 1127मि०, 1128/1, 1129, 1114 से 1117, 1119, 1120, 1124/1, 1130, 1147, 1148, 1149, 1150, 1146मि० आदि ग्राम करहैडा एवं राजस्व ग्राम साहिबाबाद के खसरा सं०-1/2 व 13 गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग के आंशिक भाग डी-1, पार्ट-1 टावर (ब्रूनिया) के पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों का परीक्षण श्री योगेश कुमार वर्मा अवर अभियन्ता एवं श्री लवकेश कुमार, सहायक अभियन्ता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा दिनांक-04.04.2018 को कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर योजना के आंशिक भाग टावर डी-1(पार्ट-1) का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक-22.03.2018 को प्रदान की गयी है। अतः उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(2) के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग के आंशिक भाग टावर डी-1, (पार्ट-1) का पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है।

संलग्नक:-ग्रुप हाउसिंग के आंशिक भाग टावर डी-1, (पार्ट-1) का पूर्णता प्रमाण पत्र की शर्तों साथ में संलग्न है।

भवदीय

(आर०के० सिंहे)

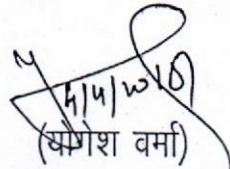
प्रभारी प्रवर्तन जोन-7

शर्तें

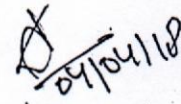
मैसर्स सैब फौब विल्डटेक प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर, श्री विनीत गोयल पुत्र श्री धनेश गोयल सेवियर पार्क के खसरा सं०-1125/1, 1126/1, 1131, 1144/2, 1145/1, 1146मि०, 1154/1, 1132, 1127मि०, 1128/1, 1129, 1114 से 1117, 1119, 1120, 1124/1, 1130, 1147, 1148, 1149, 1150, 1146मि० आदि ग्राम करहैडा एवं राजस्व ग्राम साहिबाबाद के खसरा सं०-1/2 व 13 गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग के आंशिक भाग ब्लॉक- डी-1, (पार्ट-1) टावर की पूर्णता प्रमाण पत्र की शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. सम्पूर्ण परिसर का एकीकृत रूप में पूर्णता प्रमाण पत्र भवन उपविधि-2008 के समस्त प्राविधानों को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।
2. मूल स्वीकृति, शमन स्वीकृति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र के समय अंकित शर्तों/प्राविधानों एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में वर्णित समस्त धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
3. सम्पूर्ण परिसर का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के समय वर्तमान में जारी आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र वाले भाग का पुनः तकनीकी/स्थलीय परीक्षण करने का अधिकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा।
4. फायर तथा अन्य विभागों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों, प्राविधानों एवं निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी एवं इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बरतने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ताओं की होगी। प्राधिकरण की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. भवन की संरचना, सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी का दायित्व वास्तुविद/सुपरविजन करने वाले इन्जीनियर/विकासकर्ता का होगा।

6. स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एस0टी0पी0 एवं अन्य सर्विसेज के क्रियान्वयन एवं रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
7. किसी भी समय आन्तरिक विकास कार्यों को सम्बन्धित स्थानीय निकाय को हैंड ओवर करने की पूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
8. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
9. निर्माण सामग्री लेकर परिसर में आने जाने वाले वाहनों से रहने वाले व्यक्तियों के साथ कोई दुर्घटना न हो, इसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
10. सम्पूर्ति के लिए आवेदित ब्लॉक डी-1 के अन्तर्गत ओपेन टू इकाई वाले स्थानों को फाइबर शीट से कवर करना होगा।
11. मानचित्र अनुभाग द्वारा सूचित देय शुल्कों को निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
12. माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल व अन्य मा0 न्यायालयों द्वारा डस्ट/प्रदुषण रोकने सम्बन्धी परित ओदशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।


(योगेश वर्मा)

अवर अभियन्ता अभियन्ता


(लवकेश कुमार)

सहायक अभियन्ता प्रवर्तन जोन-7